

प्रेषक,
 चन्द्र प्रकाश तिवारी,
 अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
 कोर्ट संख्या-4, कानपुर नगर।
 (H.C. I.D. No.6023)

सेवा में,
 श्रीमान् महानिबन्धक,
 माननीय उच्च न्यायालय,
 इलाहाबाद।

द्वारा:-श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश,
 परिवार न्यायालय,
 कानपुर नगर।

विषय-श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर द्वारा सेल्फ असेसमेंट पीरिएड 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 हेतु दी गयी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के सम्बन्ध में
प्रत्येकेन।

महोदय,
 ससम्मान निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कानपुर नगर के पद पर कार्यरत है। अधोहस्ताक्षरी को 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के कार्यकाल के सम्बन्ध में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि सम्बन्धी जानकारी माननीय उच्च न्यायालय की साइट “ई-सर्विसेज” के माध्यम से प्राप्त हुई है।

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर द्वारा अधोहस्ताक्षरी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य निवेदन करने की याचना अधोहस्ताक्षरी कर रहा है:-

- 1— अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने स्वमूल्यांकन प्रलेख में बिन्दु सं02 पर अपेक्षित कुल कार्य 1200 यूनिट दिये जाने की आवश्यकता थी, जबकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा कुल 3,252 यूनिट का कार्य किया गया है।
- 2— अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने स्वमूल्यांकन प्रलेख में धारा 13 हि0वि0अधि0 के 10 वर्ष से अधिक पुराने 06 केस, धारा 125 द0प्र0सं0 एवं 128 द0प्र0सं0 के 18 केस (कुल 24 केस) निर्णीत किये हैं। इसके अतिरिक्त 10 वर्ष से अधिक पुराना एक मात्र केस इस न्यायालय में लम्बित है, जो माननीय उच्च न्यायालय से स्थगित है। इस प्रकार अधोहस्ताक्षरी द्वारा न्यायालय में लम्बित 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी वादों का निस्तारण कर दिया गया है।
- 3— अधोहस्ताक्षरी द्वारा गुण दोष के आधार पर कुल 118 वाद निर्णीत किये गये हैं।
- 4— अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति का एक केस लम्बित था, जो न्यायालय द्वारा निर्णीत कर दिया गया है।

- 5— अधोहस्ताक्षरी द्वारा लोक अदालत/वैकल्पिक विवाद प्रणाली के माध्यम से कुल 54 केस निर्णीत किये गये हैं।
- 6— अधोहस्ताक्षरी की प्रशासनिक कार्य क्षमता, बार एसोसिएशन के सदस्यों से सम्बन्ध, महिलाओं के प्रति आदर एवं सेन्सटिविटी तथा वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारीगण के साथ सम्बन्ध इत्यादि अच्छे हैं। ऐसा अंकन रिमार्क में श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, महोदय द्वारा स्वयं किया गया है।
- 7— श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, महोदय द्वारा रिमार्क के कालम सं0 01(F)(iii) में Application of Law- "Satisfactory" अंकित किया गया है। इस "Satisfactory" शब्द से भविष्य में मेरे कैरियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो सकती है। अतः मेरे द्वारा किये गये कार्य (यूनिट) एवं प्राचीनतम वादों के निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुए, श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, महोदय द्वारा दिये गये इस रिमार्क के विरुद्ध प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

अतः महोदय से निवेदन है कि—

- (I)— प्रविष्टि सं01(F), 01(F)(i) एवं 01(F)(ii) में अंकित प्रविष्टि के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के सम्बन्ध में श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, महोदय द्वारा रिमार्क के कालम सं0 01(F)(iii) में Application of Law- "Satisfactory" के सम्बन्ध में रिमार्क "Satisfactory" को किसी अन्य उच्चतर श्रेणी में करने हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें, जिससे समग्र आंकलन के समक्ष अंकित "Good" रिमार्क उच्चतर श्रेणी में आ सके एवं अधोहस्ताक्षरी के कैरियर पर भविष्य में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना न हो। एवं,
- (II)— श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, महोदय द्वारा रिमार्क के कालम सं02 में समग्र आंकलन के समक्ष अंकित "Good" रिमार्क को भी अधोहस्ताक्षरी के कार्य, व्यवहार एवं आचरण तथा समग्र आंकलन को दृष्टिगत रखते हुए उच्चतर श्रेणी में करने हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

प्रार्थी सदैव आपका आभारी रहेगा।

सादर।

भवदीय,

दिनांक—04.09.2020

(चन्द्र प्रकाश तिवारी)
अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
कोर्ट संख्या—4, कानपुर नगर।